श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्): (क) श्रम मंत्रालय को कुशल श्रमिकों की उपलब्धता संबंधी किए गए ऐसे किसी तुलनात्मक अध्ययन की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान, किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का क्रमशः 8.3% तथा 15.6% प्रतिशत था, जिसे "औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में उपार्जित कोई विपणन योग्य अधिशेषता तथा जिसका वस्तुतः विपणन किया गया हो या जिसका विपणन किए जाने का विचार हो" के रूप में परिभाषित किया गया।

(ग) और (घ) 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कुशल रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, 69.8 लाख होने का अनुमान है।

(ङ) कौशल विकास तथा देश में कौशल को बढ़ावा देने हेतु लगभग 3083 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (31.7.1996 की स्थिति के अनुसार) तथा शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त देश में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

खानों को पट्टे पर देने से संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव

2368. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, मध्य प्रदेश और मणिपुर सरकारों की खानों को पट्टे पर देने से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कब से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों से उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायत देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिनको कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करके निपटाया जाता है। केन्द्र सरकार का अनुमोदन शीघ्र देने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के पास मणिपुर सरकार का खनिज रियायतें देने संबंधी कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं पड़ा है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 में (31.12.96 तक) मध्य प्रदेश के क्रमशः 180 और 53 मामले और वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात के क्रमशः 6 और 16 मामले निपटाये गए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकारों से पूरी सूचना देने के लिए कहा जाता है।

खनिजों की खोज

2369. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के अहमदाबाद, कच्छ, पंचमहल और सौराष्ट्र क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने भंडार हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में खनिज संपदा की खोज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य में खनिजों की समुचित खोज करने के लिए कोई निश्चित नीति और कार्यक्रम तैयार करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) अहमदाबाद, कच्छ, पंचमहल और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जिन खनिज भंडारों का पता लगाया गया है वे विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) कोई भी गवेषण/विदोहन अधिकरण खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों और भारत सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज भंडारों का विदोहन कर सकता है।